



775

प्रेषक,

जिला कार्यक्रमप्राधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा एवं सामग्री शिक्षा नियमाला
बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा।

साथ मे

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
सरस्वती विद्या मंदिर मनीगांडी दरभंगा।

दरभंगा, दिनांक 24/06/2020 ई०।

विषय: बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा-18 के प्रस्तोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अंतर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति का पुर्णनिबंधन के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक आपके आवास के बाहर एवं विद्यालय निरीक्षण प्रपत्र ने आधार पर दिनांक 24.06.2020 को प्रस्तीकृति समिति के बाहर में निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर मनीगांडी दरभंगा का कक्षा-1 से कक्षा-8 तक आरोटी०ई० मानक के अनुरूप रांचालन हेतु पत्र निर्गत लिया गया। इसलिए औपचारिक पुर्णनिबंधन प्रतीकृति प्रदान की जाती है।

प्रत्यक्ष प्रस्तीकृति नियम शर्तों के अनुरूप के अधीन होगी :-

1. प्रस्तीकृति नियमानुसार कक्षा-8 की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बेहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगे।
3. विद्यालय कक्षा 1 में बच्चों के जानकारी की कुल क्षमता के 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पडोस के कमज़ोर वर्ग परिवारकारी समूह (बी०पी०एल०) के बच्चों का करेंगे तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक विद्यालय का वर्ग-08 तक नियमानुसार प्रवालन करेंगे, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का संचालन हो रहा है तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक विद्यालय का वर्ग-08 भी किया जायेगा। अलाभकारी समूह के बच्चे से अभिप्राय है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्यन्त पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं कमज़ोर वर्ग के बच्चे*अर्थात् सामान्य समूह व बच्चे (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक को छोड़कर), जिनमें माता-पिता को लाख 2 लाख रु० से कम है किंतु किसी विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपलब्ध 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय नतग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
4. नियमानुसार विद्यालय द्वारा निरीक्षण नामांकित बी०पी०एल० ने बच्चों से किसी प्रकार का कठिनीशन भी नहीं प्राप्त किया जायेगा और न ही इन बी०पी०एल० बच्चों उसके माता-पिता या अभिभावक की विम ट्रेस्ट किया जायेगा।
5. नियमानुसार विद्यालय द्वारा निरीक्षण नामांकित बी०पी०एल० ने बच्चों से किसी प्रकार का कठिनीशन भी नहीं प्राप्त किया जायेगा और न ही इन बी०पी०एल० बच्चों उसके माता-पिता या अभिभावक की विम ट्रेस्ट किया जायेगा।



6. विद्यालय बच्चे के नामांकन के नाम से उसके उम्र प्रमाण पत्र की अनुपत्तिता, धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसके से किसी एक कारण के आधार पर इकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के हारा निम्न कार्य सुनियमः किये जायेगे :—
 - (cxxxiii) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को विद्यालय अभियान राष्ट्रीय शिक्षा (वर्ग 01-08) पूरी तरह तक विद्यालय से निष्कारोत्तम किया जाए।
 - (cxxxiv) किसी भी बच्चे को प्रकार का शारीरिक दड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताडित भी किया जायेगा।
 - (cxxxv) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (cxxxvi) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने पर प्रत्येक बच्चे को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (cxxxvii) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष जावश्यकता वाले बच्चों का समावेशन विन्यास नहीं।
 - (cxxxviii) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता का अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान कार्यरत वैसे सभी ‘शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाले धारित करते हैं’ 03 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
 - (cxxxix) सभी शिक्षाक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - (cxlv) शिक्षक नियी-रत्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होगे।
 8. विद्यालय राज्य सरकार हारा नियम अनुसार एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
 9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
 10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के द्वारा मानकों एवं मापदंड के अन्तर्गत विद्यालय में निम्न सुविधाओं का रहना अनिवार्य
 - विद्यालय का अपना परिसर
 - वर्गकक्षों की संख्या : 30 वर्गकक्ष एक वर्ग कक्ष
 - प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—भडार कक्ष
 - बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग—अलग शौचालय
 - पेयजल की सुविधा
 - बाधारहित पहुच
 - शिक्षण अधिगम सामग्री/लेखन सामग्री/पुस्तकालय
 11. कोई भी अप्रस्तुति वर्गकक्ष विद्यालय के भवन में या बाहर विद्यालय के भवन से संचालित नहीं होगा।





12. विद्यालय सासाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21 के अंतर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम द्वारा होगा।
13. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह जैसी व्यक्तियों के संघ अथवा विसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए उन्नालित नहीं होय।
14. लेखा का अकल्पना एवं उपयोग कार्यक्रम चार्टड एकाउन्टेंट के द्वारा केया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में किन लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजी जायेगी।
15. आपके विद्यालय को आवंटित प्रकृति कोड संख्या 84 / 2014 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने पर इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाय।
16. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा / निलाली विवरणी के द्वारा समय-समय पर मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, जिनके द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्तुति की शौली गतार रूप से पूरा करने की उन्निश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संवालन से सबधित गोठनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय द्वारा किया जायेगा।
17. यदि सोसाईटी के निवधन के अकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।
18. यह प्रस्तुति अस्थायी है। तो यह के अंदर आपके द्वारा अधिनियम की शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो प्रस्तुति का नवीकरण नहीं किया जायेगा।

विश्वासमानन्.

(संजय कुमार देव 'क हैया')
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा एवं समाज शिक्षा अभियान,
बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा।

